न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार, RAS

नजरसानी(रिव्यू) प्रा.पत्र संख्या :74 / 2018

(विरूद्ध निगरानी संख्या : 74 / 2015 निर्णित दिनांक 22.09.2015 न्यायालय अति. कलक्टर तृतीय जयपुर)

अर्जुनलाल पुत्र श्री नाथूराम, जाति—मीणा, निवासी—ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. श्रीमती फूली देवी पत्नी श्री गुलाबचंद, जाति—मीणा, निवासी—ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
2. अमर सिंह पुत्र श्री गुलाबचंद अव्यस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती फूली देवी पत्नी श्री गुलाबचंद, जाति—मीणा, निवासी—ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
3. विजय पुत्र श्री गुलाबचंद अव्यस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती फूली देवी पत्नी श्री गुलाबचंद, जाति—मीणा, निवासी—ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
4. सुशीला पत्नी श्री महेन्द्र मीणा, मेल असिस्टेंट सीरी लाइब्रेरी पिलानी, झुझुन्नू।
5. श्रीमती संतोष पत्नी श्री पवन मीणा पुत्र मोहनी देवी मीणा, जाति—मीणा, निवासी चोकडी वाया गुवाला, जिला—सीकर।
6. श्रीमती ममता पत्नी श्री मूलचंद पुत्र रूडाराम मीणा, जाति—मीणा, निवासी—मीणों की ढाणी, पोस्ट महार खुर्द वाया सामोद, जिला—जयपुर।
7. श्रीमती किरण पत्नी श्री बाबूलाल पुत्र रूडाराम मीणा, जाति—मीणा, निवासी—मीणों की ढाणी, पोस्ट महार खुर्द वाया सामोद, जिला—जयपुर।
8. श्रीमती अनिता पुत्री श्रीमती फुली देवी, जाति—मीणा, निवासी—ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
9. चंद्रशेखर पुत्र श्री नरसी, जाति—मीणा, निवासी—ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
10. सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(पुर्नविलोकन (नजरसानी) याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम बप्रकरण सं0 74 / 2015 निर्णित निगरानी निर्णय दिनांक 22.09.2015 द्वारा न्यायालय अति0 कलक्टर— तृतीय जयपुर)

Scanned by CamScanner

उपस्थितः–

1. श्री सुबोध कुमार जैन, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री भगवान सहाय शर्मा, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 की ओर से।
3. गैर–निगरानीकार सं0 2 लगा0 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 29.11.2019**

प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.02.2015 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर में निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज. अधिनियम, 1994 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.06.1989 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा, पंचायत समिति आमेर हाल पंचायत समिति जालसू के विरूद्ध पेश की गई थी जिसमें पीठासीन अधिकारी अति. कलक्टर, तृतीय जयपुर द्वारा दिनांक 22.09.2015 को निगरानी निर्णित करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की गई थी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 22.09.2015 के विरूद्ध यह पुर्नविलोकन (नजरसानी) अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम पेश की गई है। क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण यह नजरसानी इस न्यायालय को श्रवण हेतु प्राप्त हुई है।

उक्त नजरसानी पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस गैर–निगरानीकारगण को जारी किये गये।

निगरानी के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व प्रार्थी के बुजुर्गों के कब्जे व उपयोग उपभोग की भूमि बाडा का पट्टा जो दिनांक 05.06.1989 करे ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा पंचायत समिति आमेर द्वारा नरसी मीणा पुत्र गणेश मीणा, निवासी–राधाकिशनपुरा, पंचायत समिति आमेर के पक्ष में जारी किया गया है के विरूद्ध प्रार्थी निगरानीकर्ता ने नरसी मीणा के वारिसान अप्रार्थीगण व सरपंच के विरूद्ध न्यायालय अति. कलक्टर चतुर्थ के समक्ष दिनांक 04.02.2015 को निगरानी पेश की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पट्टा दिनांक 05.06.1989 मंगाने के आदेश जारी किये गये थे। ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा द्वारा जरिये पत्र सूचित किया गया कि वांछित पट्टे से संबंधित कोई अभिलेख रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है। विपक्षीगण की ओर से भी मूल पट्टा दिनांक 05.06.1989 पेश नही किया गया। इसके पश्चात् भी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी मूल पट्टा दिनांक 05.06.1989 को देखे बगैर ही दिनांक 22.09.2015 को मात्र कब्जे की कल्पना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध यह नजरसानी पेश की गई है। अतः पुर्नविलोकन याचिका अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय अति. कलक्टर तृतीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2015

Scanned by CamScanner

प्रकरण सं0 74/2015 को निरस्त कर निगरानीकार की निगरानी मंजूर कर हस्तगत पट्टा दिनांक 05.06.1989 निरस्त किया जावें।

उक्त निगरानी के संबंध में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब पुनर्विलोकन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड पंचों एवं उप–सरपंच की टीम द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.1997 के अनुसार वादग्रस्त पट्टेशुदा भूमि पर अप्रार्थिया के पति गुलाब मीणा का कब्जा माना गया है। गुलाब मीणा पट्टाग्रहिता नरसी मीणा का पुत्र है। कब्जे संबंधी दस्तावेजात पट्टा तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रस्ताव सं0 9 जिसके तहत कुल 36 व्यक्तियों को पट्टे आवंटित किये गये है। उक्त समस्त दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.09.2015 पारित किय गया है, जो विधि अनुरूप है। नजरसानीकर्ता द्वारा पट्टा जारी होने के 24 वर्ष पश्चात् सोची समझी साजिश के तहत उप जिला प्रमुख एवं सदस्य पंचायत समिति का प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र जो कि बिना कोरम के राजनैतिक द्वेषतावश तैयार करवाया गया दस्तावेज है। जो कि लोक दस्तावेज के विरूद्ध कानूनन नही पढ़ा जा सकता। अप्रार्थिया के ससुर को राजस्व अभियान में मजमेंआम में ग्राम सभा की कार्यवाही के दौरान प्रस्ताव सं0 9 दिनांक 05.06.1997 द्वारा पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय अति. कलक्टर, तृतीय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2015 के विरूद्ध यह नजरसानी पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा यह नजरसानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत पेश की गई है, जबकि धारा 97 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर पंचायत राज. संस्थान या स्टेण्ड़िग कमेटी या सब कमेटी के किसी कार्यवाही की सत्यता, वैधता या किसी आदेश निर्णय की वैधानिकता पर संतुष्टि के लिये निगरानी या नजरसानी प्रस्तुत की जा सकती है। धारा 97 के तहत श्रीमान् के न्यायालय को नजरसानी की सुनवाई कर निर्णय दिनांक 22.09.2015 को रिव्यू करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र मेटनेबंल नही होने के कारण निरस्त किया जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण से मिली भगत कर पट्टा दिनांक 05.06.1989 जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे से संबंधित कोई मूल रिकार्ड उपलब्ध नही है, फिर भी न्यायालय अति. कलक्टर, तृतीय जयपुर द्वारा बिना मूल दस्तावेज की सत्यता की परख किये बिना निर्णय दिनांक 22.09.2015 पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया है कि उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा पंचायत समिति आमेर, जिला–जयपुर के

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव सं0 9 द्वारा कुल 36 व्यक्तियों को निःशुल्क आवासी भू–खण्ड आवंटन किया गया है। उक्त प्रस्ताव के क्रम सं0 1 पर अप्रार्थी सं0 1 के ससुर नरसी पुत्र गणेश मीणा का नाम दर्ज होना अंकित किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा सरपंच मिली भगत कर पट्टा जारी करवाया गया है। सरपंच द्वारा नियम विरूद्ध कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है। पंचायत का रिकार्ड पंचायत में उपलब्ध नही है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना मूल रिकार्ड अवलोकन किये विधि–विरूद्ध गैर–निगरानीकार के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया गया है। पुराने एक्ट में श्रीमान् को रिव्यू के अधिकार नही थे, जबकि नये एक्ट में धारा 97 के तहत रिव्यू करने का इस न्यायालय को पूर्ण अधिकार है। अतः पूर्व पत्रावली सं0 74/2015 उनवानी अर्जुनलाल बनाम फूला देवी के साथ रिव्यू हस्तगत पत्रावली का पुनः अवलोकन कर विधि अनुरूप कार्यवाही करते हुए गैर–निगरानीकार विधि विरूद्ध जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जावें। वकील निगरानीकार द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

1. 2017 (2) WLC Page No. 138 पेज 120
2. 2017 (2) WLC Raj. Page No. 146 पेज 128

गैर–निगरानीकार के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि न्यायालय अति. कलक्टर, तृतीय, जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 22.09.2015 पर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रश्नाधीन नजरसानी पट्टों में पडौस में स्थित ग्राम पंचायत की अन्य भूमि के विवाद में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.1997 में विवादित पट्टेशुदा भूमि पर गैर–निगरानीकार सं0 1 के पति गुलाब मीणा का कब्जा माना है। कब्जे संबंधी दस्तावेज पट्टा तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रस्ताव सं0 9 के तहत कुल 36 व्यक्तियों का पट्टे आवंटित किये गये है। निगरानीकार द्वारा पट्टा जारी होने के 24 वर्ष पश्चात् राजनैतिक द्वेषतावश यह निगरानी पेश की गई है। समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गई है। न्यायालय अति. कलक्टर, तृतीय द्वारा कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं गैर–निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत पट्टे की फोटो प्रतिलिपि एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में माननीय न्यायालय अति. कलक्टर तृतीय, जयपुर द्वारा दिनांक 22.09.2015 को निर्णय पारित किया जा चुका है, उक्त पारित निर्णय अन्तिम है। उक्त निर्णय को राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को पूर्व में जारी निर्णय दिनांक 22.09.2015 को रिव्यू करने का अधिकार नही है। यदि निगरानीकार को पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2015 से असंतोष है तो उन्हे सक्षम उच्च न्यायालय में निगरानी की अपील की जानी चाहिए थी। राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के

Scanned by CamScanner

आवेदन पर पंचायत राज. संस्थान या स्टेण्डिग कमेटी या सब कमेटी के किसी भी कार्यवाही की सत्यता, वैधता या किसी आदेश, निर्णय की वैधानिकता पर संतुष्टि के लिये निगरानी या नजरसानी प्रस्तुत की जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2015 के विरूद्ध निगरानीकार को रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है ऐसी स्थिति में रिव्यू प्रार्थना पत्र मेनटेनेबल नही होने के कारण खारिज किया जावें। वकील गैर–निगरानीकार द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :–

1. RRT 2009 II Page No. 813
2. RRT 2008 Part I Page No. 61
3. RRT 2012 Part I Page No. 741

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गौर पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। इस प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी अति. कलक्टर तृतीय, जयपुर द्वारा पत्रावली सं0 74/2015 उनवानी अर्जुनलाल बनाम फूली देवी वगै0 में दिनांक 22.09.2015 को निर्णय पारित कर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की गई है। जिसके विरूद्ध निगरानीकार द्वारा यह पुर्नविलोकन (नजरसानी) याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम पेश की गई है। उक्त धारा में यह अंकित है कि राज्य सरकार स्वेच्छा से या किसी के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पुर्नविलोकन कर सकती है। जिसमें पूर्व में पारित निर्णय की शुद्धता, वैद्यता, औचित्य के संबंध में पुर्नविलोकन किया जा सकता है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 47 में भी यह प्रावधान किया गया है कि किसी न्यायालय द्वारा निर्णय अथवा आदेश में विधि, तथ्य या प्रक्रिया संबंधि कोई गलती अथवा त्रुटि रह गई है तो उस पर पुर्नविचार करने का प्रावधान किया गया है। हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है कि प्रकरण सं0 74/2015 में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा ना तो भौतिक रूप से वादग्रस्त भूमि के उपयोग, उपभोग एवं वास्तविक कब्जे के संबंध में कोंई जानकारी प्राप्त की गई ना ही मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बिना मूल रिकार्ड के एक–पक्षीय प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया। अतः इस प्रकरण में न्याय हित में प्रकरण का पुर्नविलोकन किया जाना विधि अनुरूप उचित है। प्रकरण में गैर–निगरानीकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि गैर–निगरानीकार का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा रहा हो। पट्टे से संबंधित मूल पत्रावली भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है। मूल

Scanned by CamScanner

दस्तावेजों अथवा मूल दस्तावेजों के सक्षम स्तर पर जारी प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन के बिना ही तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके पर कब्जे की प्रमाणिकता पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त विवेचनानुसार सी.पी.सी. की धारा 47 एवं राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत पुर्नाविलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा पंचायत समिति आमेर हाल पंचायत समिति जालसू द्वारा नरसी पुत्र गणेश जाति–मीणा, निवासी–ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर को जारी पट्टा दिनांक 05.06.1989 को निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय अति. कलक्टर, (तृतीय) जयपुर द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2015 में आंशिक संशोधन किया जा कर ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को पुनः सुनकर वादग्रस्त भूमि पर वास्तविक कब्जे का पुनः भौतिक सत्यापन करवाकर राजस्थान पंचायत राज. अधिनियम, 1994 के तहत पुनः नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) (राज.)

29.11.19

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner